



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 1, 2008/माघ 12, 1929

No. 139]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 2008/MAGHA 12, 1929

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2008

का.आ. 228(अ).—पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) के खंड 3 के उप-खंड (1) और खंड 3ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से निम्नलिखित को प्रतिबंधित करती है,

(i) एवियन इंप्लूएंजा (हाइली पैथोजेनिक एवियन इंप्लूएंजा और लो पैथोजेनिक एवियन इंप्लूएंजा दोनों) का दृष्टिगत रखते हुए सभी देशों से भारत में निम्नलिखित पशुधन तथा पशुधन उत्पादों का आयात, नामतः :—

(क) कोंप्टिव पक्षियों सहित घरेलू तथा जंगली पक्षी (कुक्कुट को छोड़कर);

(ख) जंगली पक्षियों सहित एवियन प्रजातियों से अपसंस्कारित मांस एवं मांस उत्पाद (कुक्कुट को छोड़कर);

(ग) घरेलू एवं जंगली पक्षियों का वीर्य।

(ii) एवियन इंप्लूएंजा (हाइली पैथोजेनिक एवियन इंप्लूएंजा और लो पैथोजेनिक एवियन इंप्लूएंजा दोनों) सूचित करने वाले देशों से भारत में पशुधन और पशुधन उत्पादों का आयात, नामतः :—

(क) जीवित कुक्कुट;

(ख) एक दिन के चूजे बत्तख, टर्की और अन्य नवजात चूजा प्रजातियां;

(ग) जंगली पक्षियों सहित एवियन प्रजातियों का मांस एवं मांस उत्पाद;

(घ) हैचिंग अण्डे;

(ङ) अण्डा तथा अण्डा उत्पाद (विशेषकर पैथोजेन मुक्त अण्डों को छोड़कर);

(च) पंख;

(छ) जीवित सूअर तथा सूअर मांस उत्पाद (प्रसंस्कृत सूअर के बाल के अलावा);

(ज) पैथोलॉजिकल सामग्री और पक्षियों से जैविकीय उत्पाद;

(झ) पशु खाद्य या कृषि या औद्योगिक प्रयोग के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से (पक्षियों से) पशु आधारित उत्पाद।

वशर्त कि यह प्रतिबंध आयात के लिए सूखे प्रसंस्कृत पालतू पशु आहार, जिसमें एवियन प्रजातियों व सूअर का मीट तथा मीट उत्पाद तथा पशु मूल (पक्षियों से) आधारित उत्पाद पशु आहार में इस्तेमाल के इरादे से शामिल हैं, के लिए लागू नहीं होंगे।

2. यह प्रतिबंध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः माह की अवधि तक या ऐसे समय में संशोधन अथवा वापसी तक जो भी पहले हो, लागू रहेगा।

[फा. सं. 109-21/2007-ट्रेड]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2008

S.O. 228(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 and Section 3A of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby prohibits, with effect from the date of publication of this notification,

- (i) the import into India from all countries in view of Avian Influenza (both Highly Pathogenic Avian Influenza and Low Pathogenic Avian Influenza), the following live-stock and live-stock products, namely :—
 - (a) domestic and wild birds including the captive birds (excluding poultry);
 - (b) unprocessed meat and meat products from Avian species including wild birds (except poultry);
 - (c) semen of domestic and wild birds.
- (ii) the import into India from the countries reporting Avian Influenza (both Highly Pathogenic Avian Influenza and Low Pathogenic Avian Influenza), the following live-stock and live-stock products, namely :—
 - (a) live poultry;
 - (b) day old chicks, ducks, turkey and other newly hatched Avian species;
 - (c) meat and meat products from Avian species including wild birds;
 - (d) hatching eggs;
 - (e) egg and egg products (except Specific Pathogen Free eggs);
 - (f) feathers;
 - (g) live pig and pig products (except processed pig bristles);
 - (h) pathological material and biological products from birds;
 - (i) product of animal origin (from birds) intended for use in animal feeding or for agricultural or industrial use :

Provided that the prohibition shall not be applicable on the import of dry processed pet food containing the ingredient of meat and meat products from avian species, pig and product of animal origin (from birds) intended for use in animal feeding.

2. The prohibition shall be in force for a period of six months from the date of publication of this notification or till such time it is modified or withdrawn, whichever is earlier.

[F. No. 109-21/2007-Trade]

UPMA CHAUDHRY, Jt. Secy.